

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 से 2

केंद्र शासन से प्राप्त सहायता राशि से प्रदेश के सामान्य क्षेत्र के बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु व्यय की जानी है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के क्रियान्वयन हेतु ` 577.26 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 5,77,26,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

चिकित्सा देयक भुगतान ` 1.50 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से लिया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।